35/2022/150334/2022-71-2099/253/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालयों, विभागीय भवनों, छात्रावासों इत्यादि में फायर हाइड्रेन्ट सिस्टम एवं फायर अलार्म सिस्टम की स्थापना संबंधी प्रायोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-13440/योजना अनु०/2021, दिनांक 05.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालयों, विभागीय भवनों, छात्रावासों इत्यादि में फायर हाइड्रेन्ट सिस्टम एवं फायर अलार्म सिस्टम की स्थापना संबंधी प्रायोजना की अवशेष 05 प्रतिशत धनराशी स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि के0जी0एम0यू0 परिसर में छुटे हुए विभाग एवं भवनों में फायर हाइड्रेन्ट सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1320.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अब तक रु0 1254.00 लाख की धनराशी अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि(लाख में)
1	4218/71-2-12-सीएमयू0-46/2012, दिनांक 11-12-12	730.51
2	2618/71-2-13-सीएमयू0-46/2012, दिनांक 28-03-13	166.20
3	4/2015/4609/71-2-14-सीएमयू0-46/2012, दिनांक 06-01-14	166.20
4	91/2018/1982/71-2-18-सीएमयू0-46/2012, दिनांक 05-06-18	150.96
5	92/2018/1982/71-2-18-सीएमयू0-46/2012, दिनांक 05-06-18	40.13
	योग	**1254.00**

3- उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 05.03.2022 के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0 के बृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष के0जी0एम0यू0, लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालयों, विभागीय भवनों, छात्रावासों इत्यादि में फायर हाइड्रेन्ट सिस्टम एवं फायर अलार्म सिस्टम की स्थापना संबंधी प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1320.00 लाख के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 66.00 लाख (रु0 छियाछठ लाख मात्र) अनुदान संख्या-31 से अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण कर लिया जाये।

(3) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशो में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।

(5) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/ 2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/ दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

(8) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि में से धनराशि रू0 66.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031 -चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गए अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबन्धक निदेशक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम लि0, लखनऊ ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।